26.11.24

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में वकील प्रार्थी की मुन्तसर बहस सुनी गई पत्रावली मे वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का देहान्त दि 12.10.2002 को हो गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात विरासत से खाता खुला उस मे मेरा नाम मदनलाल के बजाय भूरालाल गलत अंकित कर दिया जबकि प्रार्थी के समस्त राजस्व व राजकिय रेकार्ड मे मदनलाल अंकित है। इस लिए राजस्व अभिलेख मे अंकित भूरालाल के बजाय मदन लाल पिता बालू जी दरोगा [हजूरी] अंकित कराया जावे। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, बचत खाता पासबुक सहकारी किसान कार्ड का अवलोकन किया गया व ग्राम पंचायत बिछौर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र मे मदनलाल पिता बालू हजूरी दर्ज अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधा. 136 LRA का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बेंगू को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बिछौर प.ह. बिछौर के खाता स. 240 आराजी स. 1498, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512 कुल किता-06 कुल रकबा 1.2950 हे. भूमि के राजस्व रिकार्ड मे भूरालाल पिता बालु के बजाय मदनलाल पिता बालू किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।